

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:- कार्यालय ध्यान:-

अधिकांश सरकारी स्कूलों की शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कानूनी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विस्तार कार्यालय लखनऊ की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अगस्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सहायक/प्रवेश समारंभ पत्रिका प्रदान करने का विचार सार्वीय रूप से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने वाले का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सं-3 में विस्तार इन कानूनी कार्यालय कार्यालय करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाश प्राप्त गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पठन विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कानूनी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईए द्वारा उन्हें नव्यावधि अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम को सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समारंभ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अगस्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सार्वीय अर्थीय पाठ्यक्रम एवं कानूनी अधिनियम प्रवेश समारंभ हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समारंभ	पीठसीआईए /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समारंभ
1	1227	वीएनएनएल अरिज अरिज इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी न्यू वेब स्कूल मुंबई का रोड, मुंबई।	डिप्लोमा इन कानूनी	60	60

सम्बद्धता हेतु नॉट

- ✓ संस्था एअरआईआईटीआई/ पीठसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी सार्वीय एवं पूर्वतः प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था प्रदत्त नोट प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद निर्देशिकाओं 1992, संचालन दिशानिर्देश-2018 एवं अन्य निर्मित दिशानिर्देश एवं अधिनियम का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्टीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम को अधिसूचित) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक वर्ष/वर्षा से प्राप्त किया जायेगा। सम्बद्धता की अधिसूचना प्राप्त/प्राप्तों में शुल्क की सम्बद्धता में समत-समक एवं

(Signature)

**कार्यालय,
एशियन प्रोविंशियल शिक्षा परिषद,**

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

: कार्यालय त्वाप :-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एनईसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा पारसी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्रोविंशियल शिक्षा परिषद, 30वां लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- (09/08/2021) को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचाल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ आवेग क्षमता वृद्धि सहित अन्य माटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रोविंशियल शिक्षा परिषद, 30 वां लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1227-BSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NEAE NEW BUS STAND BHUTESHWAR ROAD, MATHURA- 281004

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
		प्रवेश क्षमता	क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रोविंशियल शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सीमेंटल विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्सी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय एनईसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक जग दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परामेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से लिया किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शरणा द्वारा निर्णय लिये जाने वाले कारनामों से सम्बन्धी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30वां प्रोविंशियल शिक्षा समिति/अथ उम समितियां, संस्थाओं को सम्बद्धता सेवा (अथ) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही उद्देश्य दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही उद्देश्य की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत राजसूचियों के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/आमनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में शासन द्वारा निर्देशित संस्था का होगा और प्राविधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बाध्य किया जाता है तथा बाध्य बाध के संबंध में ना. न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो शासन प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्टेजिनिंग करने हेतु के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्टेजिनिंग के माध्यम से अथवा संस्था द्वार पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जलेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, बंधन, राज-कस्ता, उपकरण, प्रेषित किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैजिं ठोकने के सम्बन्ध में शासन आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में स्थापित/ संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा कर्तव्य का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनकारण कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राविध्य/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4909

दिनांक: 09/08/2021

संज्ञित:

प्रधानाचार्य/निदेशक,BSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,NEAE NEW BUS STAND
BHUTESHWAR ROAD,MATHURA-281004



(सुनील कुमार सोनकर)

सपिच

**कार्यालय,
संघित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविषप/परिषद/सम्बद्धता/2022/78-17

लखनऊ: दिनांक: 09/09/2022

कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कनूजी काउन्सिल ऑफ इजिनेरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्लीमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें भक्ति प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एंड नाम : 1634-B 5 A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा	परिषद द्वारा सत्र 2022-23
		सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2006, संशोधन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक टर्नीक पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर अखिल द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जात है, जो फीस की नवीनताम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों का ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि-नियमों/विनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा किये गये निर्णयों,

निर्दिष्ट, अदृश्य एवं निरीक्ष्य का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का एफ-आई-ओसी/टी/ई/एपी/सी/आई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संकेत में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कर्मचारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशकालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निरस्त यदि कोई कदम दापर किया जाता है तथा दापर कदम के संकेत में या, न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अपेक्षित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एफ-आई-ओसी/टी/ई/एपी/सी/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आचार पठनीय प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की इतिहासिक पृष्ठ भूमि, छात्रक, सार्व-सन्त, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रावास मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रविद्युत हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे ले कि संस्था में प्रस्तुतित संवाचित वातावरण को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण के संवाचन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की नगर्कवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के शीर्षक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सन्त एफ-आई-ओसी/टी/ई/एपी/सी/आई/परिषद के सम्मानानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।



(एफ-आई-ओ सी/टी/ई/एपी/सी/आई)

सचिव

फ़ोन- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8453

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, B & A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY



(एफ-आई-ओ सी/टी/ई/एपी/सी/आई)

सचिव